संख्या-100/2017/127 मंत्री/26-3-2017-92 लो0शि0/26-3-2016

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2017

विषयः कोरी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-443/26-3-2011-3(19)/78, दिनांक-17.02.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोरी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि कोरी जाति के सम्बन्ध में स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद भी जनपदों में कोरी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-50 पर कोरी जाति अंकित है। शासनादेश संख्या-3469/26-3-2010, दिनांक-26.10.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय राजस्व अधिकारियों को उस व्यक्ति के नाम से समक्ष लिखे जा रहे जाति सूचक शब्द अथवा उसके जीविकोपार्जन हेतु अपनाये जाने वाले व्यावसाय इत्यादि को ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार नहीं माना जाना चाहिये, साथ ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु केवल 1359 फसली को ही आधार न माना जाय, अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आस-पास के निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूॅछताछ/जाॅच-पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टी.सी. इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जाय। यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसे दस्तावेजों का अध्ययन करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित दस्तावेज वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के वर्ष के अथवा उसके पूर्व के वर्षों के होने चाहिए या उनपर जो दस्तावेज आधारित हों, उन्हे संज्ञान में लिया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संदर्भगत जाति सम्बन्धित दस्तावेज पर्याप्त समय पूर्व के हैं तथा संतोषजनक हैं।

3- शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक-28.02.2011 द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन समिति का गठान किया गया है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण होने एवं अन्य विसंगतियों के मामले निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-428/26-3-2011, दिनांक-27.01.2011 द्वारा मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम तथा शासनादेश दिनांक-05.01.1996 द्वारा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है।

अतएव उपरोक्त शासनादेशों के आलोक में भली-भांति जांच-पड़ताल/निरीक्षण करते हुये कोरी जाति के पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0- 100/2017/127 मंत्री (1)/26-3-2017 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।